

प्रारूप 3

(नियम 3 (क) 13 देखिए)

शिक्षार्थी अनुज्ञाप्ति

अनुज्ञाप्ति सं०

तारीख

1. नाम

2. आवेदक का पुत्र/की पत्नी/की पुत्री

3. जन्म की तारीख

4. वैकल्पिक.....

5x 6 सेन्टीमीटर
आकार के फोटो के
लिए स्थान

रक्त ग्रुप एवं आर०एच० फैक्टर

5. वर्तमान पता –,
स्थायी/अस्थायी/सरकारी पता (यदि कोई है)

6. पहचान चिन्ह— (1) (2)

एक शिक्षार्थी के रूप में केन्द्रीय मोटर यान नियम 1989 के नियम 3 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, निम्नलिखित वर्ग के मोटर यान को भारत में सर्वत्र चलाने के लिए अनुज्ञाप्त किया जाता है।

अनुज्ञाप्ति धारक ने, केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 5 के अधीन चिकित्सीय परीक्षण और नियम 11(1) में निर्दिष्ट प्रारम्भिक परीक्षण उत्तीर्ण कर लिया है।

अनुज्ञाप्ति धारक केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 6 के अधीन चिकित्सीय परीक्षण से और नियम 11(2) के अधीन प्रारम्भिक परीक्षण से छूट प्राप्त है।

यह अनुज्ञाप्ति से

तक विधिमान्य है।

चेतावनी

इस अनुज्ञाप्ति के धारक का ध्यान, केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 3 की ओर आकर्षित किया जाता है जो उसे मोटर यान को चालाने के लिए तब तक प्रतिषिद्ध करता है जब तक कि उसके पास यान को चलाने के लिए सम्यक् रूप से अनुज्ञाप्त कोई व्यक्ति न हो और प्रत्येक दशा में “L” प्लेट यान के आगे और पीछे दोनों ओर न लगी हुई हो।